संख्या:174/2015/496/35-4-2015

प्रेषक ,

अबरार अहमद
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 31 मार्च,2015

विषय:वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत पुनरीक्षित स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या-2123/35-4-2005, दिनाक 06 दिसम्बर, 2005 द्वारा कलेक्ट्रट परिसर में अधिवक्ता भवन/बार काउन्सिल भवन निर्माण कार्य की रू. 59.79 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पूर्ण धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्रश्नगत प्रायोजना की रू 90.57 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 59.79 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि रू. 30.78 लाख आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 06 दिसम्बर, 2005 की शर्ते यथावत् रहेगी।
2- सन्दर्भित शासनादेश के माध्यम से अवमुक्त धनराशि को प्रथम किश्त के रूप में आंकलित की जायेगी।
3- स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखी जायेगी और आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि रू. 30.78 लाख के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि देय नहीं होगी।
4- अवमुक्त की जा रही धनराशि जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
5- कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
6- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2015 तक कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2015 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2015 तक प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

http://bhasanadesh.up.nic.in

6- जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था के स्तर पर अनुमोदित डिजाईन/स्पेशिफिकेशन में परिवर्तन करते हुये अनुमोदित लागत से अधिक शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना अपने स्तर से व्यय किये जाने के फलस्वरूप देनदारी सृजित किये जाने के प्रकरण की नियमानुसार जॉच कराकर दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी और शासन से अनुमति प्राप्त होने पर ही वास्तविक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-800-अन्य व्यय-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-03-अधिवक्ताओं के चैम्बर्स/पुस्तकालय/बार काउन्सिल भवन/तहसील स्तर पर अधिवक्ता/ वादकारी के लिये स्थायी ढ़ाचे के निर्माण के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई,2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:174/2015/496/35-4-2015(1)/ 35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय/ लोक निर्माण।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर ।
7- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा ।
9-गार्ड फाईल।
10-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
11-राज्य योजना आयोग-1
12-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा ।

आज्ञा से,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://vikasbandesh.up.nic.in